कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

पत्रांक सं0: 2159 /12-1 मुनिकीरेती, दिनांक 10 / 04 /2024

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गंगनानी से भंगेली मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 1.316 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन ।

सन्दर्भ :- भारत सरकार का पत्रांक 08बी0/यू0सी0पी0/06/31/2020/एफ0सी0/81, दिनांक 28.04.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत मोटर मार्ग की सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या का भारत सरकार द्वारा अवलोकन करने के उपरांत अवगत कराया गया है कि जिस संरेखण पर कार्य किया गया है, वह संरेखण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत तथा अनुमोदित संरेखण से भिन्न है। इसके अतिरिक्त मार्ग निर्माण से उत्सर्जित मलवा, मलवा निस्तारण प्लान में चयनित स्थल से इतर मार्ग के संरेखण में ही डम्प किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी है। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी के द्वारा अपने पत्रांक 3439/12-1 दिनांक 21.03.2024 से प्रस्तुत प्रतिवेदन में अवगत कराया गया है कि पूर्व में प्रयोक्ता अभिकरण को यथाशीघ्र डी0पी0आर0 की स्वीकृति के साथ-साथ वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव भी अपलोड करना पड़ा था, अन्यथा की स्थिति में मोटर मार्ग की डी0पी0आर0 स्वीकृत नहीं हो पाती। उक्त मोटर मार्ग की के0एम0एल0 फाईल तथा जियो रिफरेन्स मैप मौके पर लिये गये कोर्डिनेट्स के अनुसार तैयार किये गये थे, परन्तु जी0पी0एस0 में Accuracy सही न होने/तकनीकी दक्षता की कमी के कारण पूर्व में अपलोड के0एम0एल0 फाईल तथा वर्तमान में मौके पर बनाये गये मोटर मार्ग के संरेखण में भिन्नता दर्शित हो रही है। प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण के दौरान किये गये सीमांकन तथा वृक्षों की गणना के संरेखण में ही मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है। उक्त मोटर मार्ग के संरेखण में आने वाले वृक्षों का छपान/कटान तथा निर्माण कार्य वास्तविक संशोधित मैप के अनुसार किया गया है। इस निर्माण कार्य में प्रत्यावर्तित वनभूमि के क्षेत्रफल एवं वृक्षों की संख्या में कोई भिन्नता नहीं पायी गयी है। इसके अतिरिक्त स्वीकृत संरेखण के 03 स्थलों (कास सेक्शन 0/0-0/1, 0/24-1/25, 1/25-1/26) पर मार्गो के कटिंग से उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु 03 डम्पिग स्थल प्रस्तावित किये गये थे तथा उन्हीं 03 स्थलों पर वायर केट लगाकर उत्सर्जित मलवे को डम्प किया गया है। इसके अतिरिक्त एक अन्य स्थल (नाप भूमि) में भी मार्ग निर्माण से उत्सर्जित मलवे को डम्प किया गया है।

महोदय अवगत कराना है कि उक्त क्षेत्र भूकम्प एवं आपदा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है, जिसमें सतत् भू-धंसाव हो रहा है। सन् 2022-23 एवं सन् 2023-24 मानसून के दौरान उक्त क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा (अतिवृष्टि) हुई, जिस कारण मोटर मार्ग के कई जगहों पर भूस्खलन / भूधंसाव हुआ है तथा आने वाले वर्षाकाल में भूस्खलन / भूधंसाव अधिक होने की संभावना है, जिन जगहों पर भारी भूस्खलन/भूसंधाव हुआ है, उन्हीं जगहों पर मलवा/बोल्डर नीचे की तरफ पहाडी ढलान में गिरा पड़ा है, जिसका कि कटिंग के मलवे से किसी भी तरह का कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः प्रश्नगत मोटर मार्ग के निर्माण कार्य में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का किसी भी प्रकार का उल्लघंन नहीं हुआ है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिवेदन इस अनुरोध के साथ अग्रसारित किया जा रहा है कि विषयगत मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक-उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय

(धर्म सिंह मीणा)
वन संरक्षक
10/4/24

संख्या- 2159/ 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः- प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त मुनिकीरेती।
10/04/24

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444

पत्रांक–3439/12–1, कोटबंगला, दिनांक 21/03/2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषय :– जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गंगनानी से मंगेली मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 1.316 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक– 8बी/यू0सी0पी0/06/31/2020/एफ0सी0/81, दिनांक– 28.04.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक– 25.01.2024 को उप प्रभागीय वनाधिकारी भटवाड़ी उप वन प्रभाग एवं वन क्षेत्राधिकारी टकनौर तथा याचक विभाग के सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता के साथ उक्त मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसकी आख्या निम्नानुसार है–

क्र. सं.	आपत्ति	आख्या
1	On perusal of the KML file of the proposal, change in alignment is observed. Further, muck is found to be disposed all along the route. State Government is requested to submit a report from DFO to confirm if the road construction has been carried out as per the demarcation of the road made on ground and if the muck disposal has been carried out as per the approved muck disposal scheme. In case of violation a detailed violation report is required to be submitted.	इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि याचक विभाग के प्रतिनिधि द्वारा स्थलीय निरीक्षण के दौरान अवगत कराया गया कि पूर्व में उनको यथाशीघ्र डी.पी.आर. की स्वीकृति के साथ–साथ वनभूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव भी अपलोड करना पडा था, अन्यथा की स्थिति में मोटर मार्ग की डी.पी.आर स्वीकृत नहीं हो पाती। उक्त मोटर मार्ग की के०एम०एल० फाईल तथा जियो रिफरेन्स मैप मौके पर लिये गये कोओर्डिनेट्स के अनुसार तैयार किये गये थे, परन्तु जी0पी0एस0 में Accuracy सही न होने/तकनीकी दक्षता की कमी के कारण पूर्व में अपलोड के०एम०एल० फाईल तथा वर्तमान में मौके पर बनाये गये मोटर मार्ग के संरेखण में भिन्नता दर्शित हो रही है। प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण के दौरान किये गये सीमांकन तथा वृक्षों की गणना के संरेखण में ही मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है। उक्त मोटर मार्ग के संरेखण में आने वाले वृक्षों का छपान/कटान तथा निर्माण कार्य वास्तविक संशोधित मैप के अनुसार किया गया है। इस निर्माण कार्य में प्रत्यावर्तित वनभूमि के क्षेत्रफल एवं वृक्षों की संख्या में कोई भिन्नता नहीं पाई गयी, इसके अतिरिक्त स्वीकृत समरेखण के 03 स्थलों (क्रास सेक्शन 0/0–0/1,0/24–0/25, 1/25–1/26) पर मार्गों के कटिंग से उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु 03 डम्पिंग स्थल प्रस्तावित किये गये थे तथा उन्ही 03 स्थलों पर वायर क्रेट लगाकर उत्सर्जित मससवे को डम्प किया

वन विभाग
पत्रांक 6171
पत्रावली 12-1
दिनांक 27/03/24
उत्तराखण्ड

B.F..B.G

D:\DraftMan Letter\Letter.docx

		गया है। इसके अतिरिक्त एक अन्य स्थल (नाप भूमि) में भी मार्ग निर्माण से उत्सर्जित मलवे को डम्प किया गया है। महोदय अवगत कराना है कि उक्त क्षेत्र भूकम्प एवं आपदा की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र है, जिसमें सतत भू–धंसाव हो रहा है। सन् 2022–23 एवं सन् 2023–24 मानसून के दौरान उक्त क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा (अतिवृष्टि) हुई, जिस कारण मोटर मार्ग के कई जगहों पर भूस्खलन/भूधंसाव हुआ है तथा आने वाले वर्षाकाल में भूस्खलन/भूधंसाव अधिक होने की सम्भावना है। जिन जगहों पर भारी भूस्खलन/भूधंसाव हुआ है, उन्ही जगहों पर मलवा/बोल्डर नीचे की तरफ पहाडी ढलान में गिरा पडा है, जिसका कि कटिंग के मलवे से किसी भी तरह का कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः प्रश्नगत मोटर मार्ग के निर्माण कार्य में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं हुआ है।

<u>संलग्नक– उक्त मोटर के फोटोग्राफ्स।</u>

भवदीय,

(डी.पी. बलूनी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन-प्रभाग, उत्तरकाशी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,
उत्तरकाशी

Tele Phone/Fax No-01374-223804 Email eepmgsyuttarkashi@rediffmail.com

पत्रांक 469 /पी.एम.जी.एस.वाई./सिं.ख./ दिनांक 19/03 /2024

सेवामे,

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

विषय— जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गंगनानी से भंगेली मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 1.316 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण (Online No- FP/UK/ROAD/34286/2018)

सन्दर्भ— भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत श्रेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./06/31/2020/एफ.सी./81 दिनांक 28.04.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में पूर्व में इस कार्यालय का पत्र 269/पी.एम.जी.एस. वाई./सिं.ख. दिनांक 16.02.2024 (छाया प्रति संलग्न) के क्रम में उपरोक्त विषयक प्रस्ताव पर बतायी गयी आपत्तियों के निराकरण सम्बन्धित आख्या/प्रस्ताव प्रेषित किया गया था।

अतः उक्त की छाया प्रति पुनः आपको आग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः— इस कार्यालय के पत्र की छाया प्रति।

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड,
उत्तरकाशी

Recieved
20/03/2024

O/C

D/Man

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी

Tele Phone/Fax No-01374-223804

Email eepmgsyuttarkashi@rediffmail.com

पंत्राक 269 /पी.एम.जी.एस.वाई./सिं.ख./ दिनांक 16/02/2024

सेवामे,

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

विषय– जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत गंगनानी से भंगेली मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 1.316 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण (Online No-FP/UK/ROAD/34286/2018)

सन्दर्भ– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत श्रेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./06/31/2020/एफ.सी./81 दिनांक 28.04.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में सहायक महानिरीक्षक (वन) भारत सरकार द्वारा उक्त वनभूमि प्रस्ताव पर अवलोकन उपरान्त त्रुटियां बताई गयी है कि–

1. On perusal of the KML file of the proposal, change in alignment is observed. Further, muck is found to be disposed all along the route. State Government is requested to submit a report from DFO to confirm if the road construction has been carried out as per the demarcation of the road made on ground and if the muck disposal has been carried out as per the approved muck disposal scheme. In case of violation a detailed violation report is required to be submitted.

उक्त क्रम में महोदय अवगत कराना है कि पूर्व में इस खण्ड को यथाशीघ्र डी.पी.आर. की स्वीकृति के साथ–साथ वनभूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव भी यथाशीघ्र अपलोड कराना पडा, अन्यथा की स्थिति में मोटर मार्ग की डी.पी.आर. स्वीकृत नहीं हो पाती। तत्समय के०एम०एल० फाईल तथा जियों रिफरेन्स मैप का विभाग के अधिकृत कार्यालयों से क्षेत्र में मौके पर लिये गये कोओर्डिनेट्स के अनुसार तैयार किये जाते थे। तत्समय तकनीकी दक्षता की कमी एवं समयाभाव के कारण त्रुटि होने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मोटर मार्ग पर सर्वे के दौरान कतिपय स्थानों पर जी.पी.एस. रिडिंग सही न आ पाने के कारण भी के०एम०एल० मे त्रृटि होने की सम्भावना है। उक्त क्रम में महोदय अवगत कराना है कि समरेखण में कोई भी भिन्नता नहीं है, उक्त के अनुसार यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग रेखांकन में आने वाले वृक्षों का छपान/कटान तथा निर्माण कार्य वास्तविक संशोधित मेप के अनुसार किया गया है। इस निर्माण कार्य में प्रत्यावर्तित वनभूमि के क्षेत्रफल एवं वृक्षों की संख्या में कोई भिन्नता नहीं पाई गयी, इसके अतिरिक्त स्वीकृत समरेखण के 03 स्थलों (क्रास सेक्शन 0/0–0/1, 0/24–0/25, 1/25–1/26) पर मार्गो के कटिंग से उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु 03 डम्पिंग स्थल प्रस्तावित किये गये थे उन्ही 03 स्थलों पर वायर क्रेट लगाकर डम्पिंग स्थल बनाने के साथ ही 01 अतिरिक्त स्थल (क्रास सेक्शन 2/12) पर ही डम्पिंग स्थल निर्मित किया गया है एवं मलवे का निस्तारण उन्ही 04 डम्पिंग स्थलों में किया गया है।

महोदय अवगत कराना है कि उक्त क्षेत्र भूकम्प एवं आपदा की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र है। सन् 2022–23 एवं सन् 2023–24 मानसून के दौरान उक्त क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा (अतिवृष्टि) हुयी , जिस कारण मोटर मार्ग के कई जगहों पर भूस्खलन/भूधसाव हुआ, जिससे कि आने वाले वर्षाकाल में भूस्खलन/भूधसाव अधिक होने की सम्भावना है, जिन जगहों पर भारी भूस्खलन/भूधसाव हुआ है, उन्ही जगहों पर मलवा/बोल्डर नीचे की तरफ पहाडी ढलान में गिरा पडा है, जिसका कि कटिंग के मलवे से किसी भी तरह का कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः प्रश्नगत मोटर मार्ग के निर्माण कार्य में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का किसी भी प्रकार का उल्लंधन नहीं हुआ है।

अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुये अपने स्तर से उचित/आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें जिससे उक्त प्रस्ताव पर विधिवत स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण की जा सकें।

अतः सादर सूचनर्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी

D/Man

Gangnani To Bhangeli M/R

Dumping Zone No-01

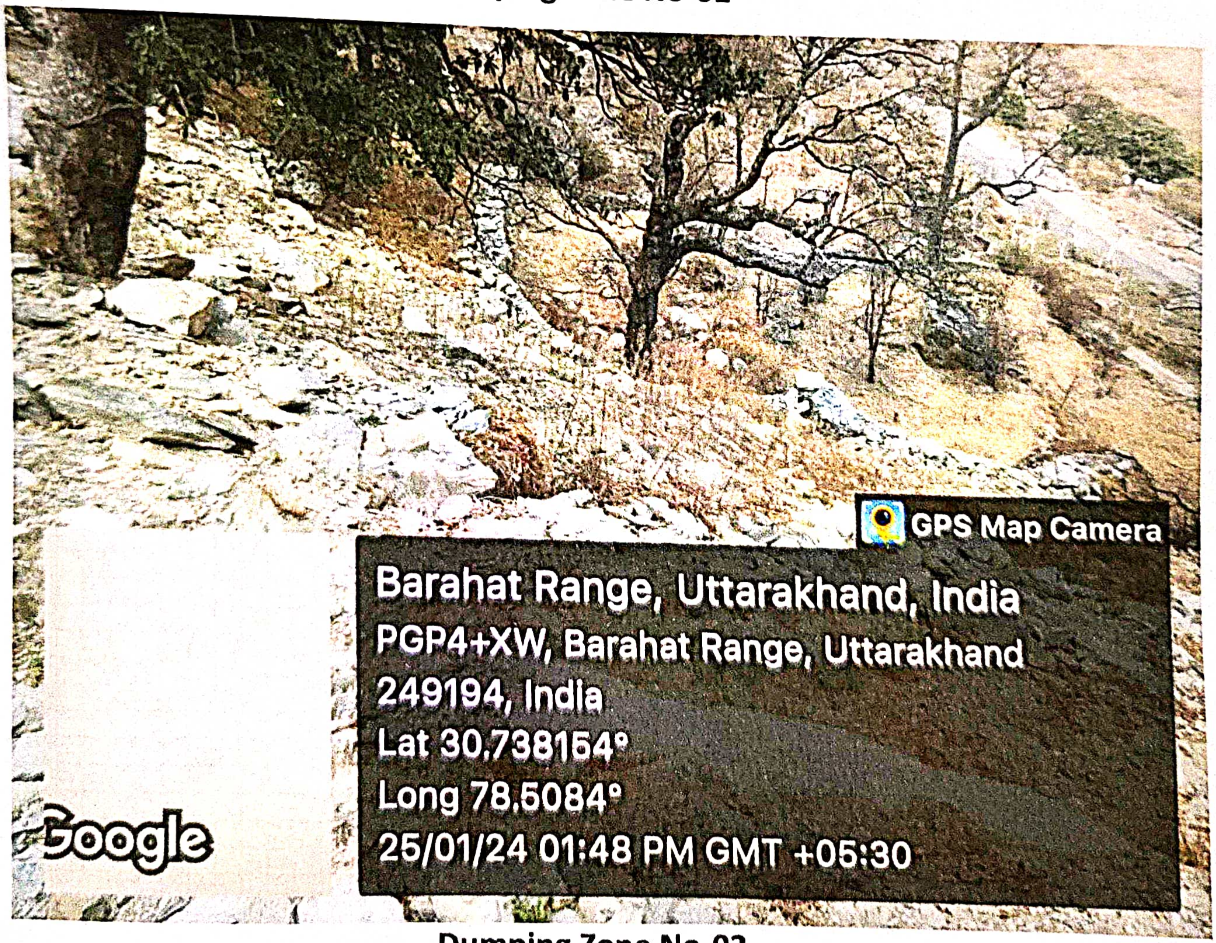

Dumping Zone No-02

Dumping Zone No-03

Dumping Zone No-04

Gangnani To Bhangeli M/R

Slip and sliding Due to Monsoon

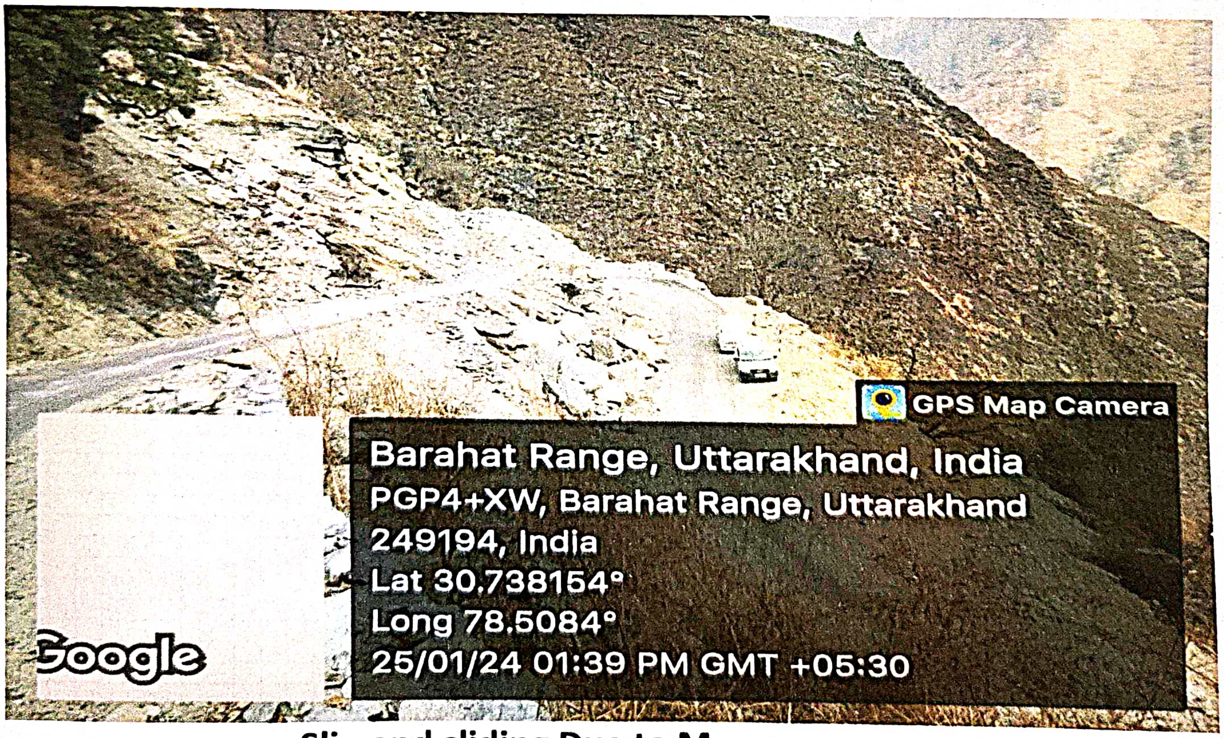

Slip and sliding Due to Monsoon

Gangnani To Bhangeli M/R

Slip and sliding Due to Monsoon

Slip and sliding Due to Monsoon

Gangnani To Bhangeli M/R

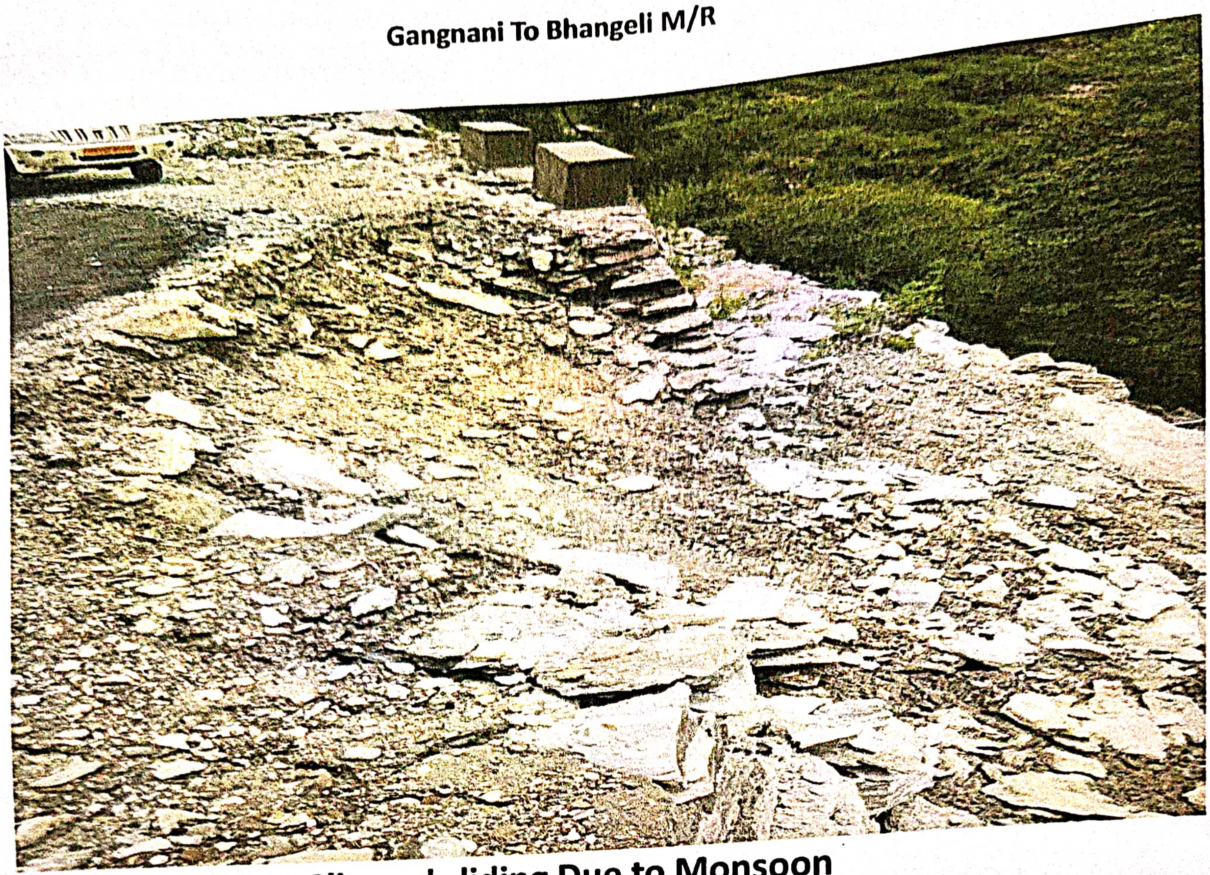

Slip and sliding Due to Monsoon

Slip and sliding Due to Monsoon

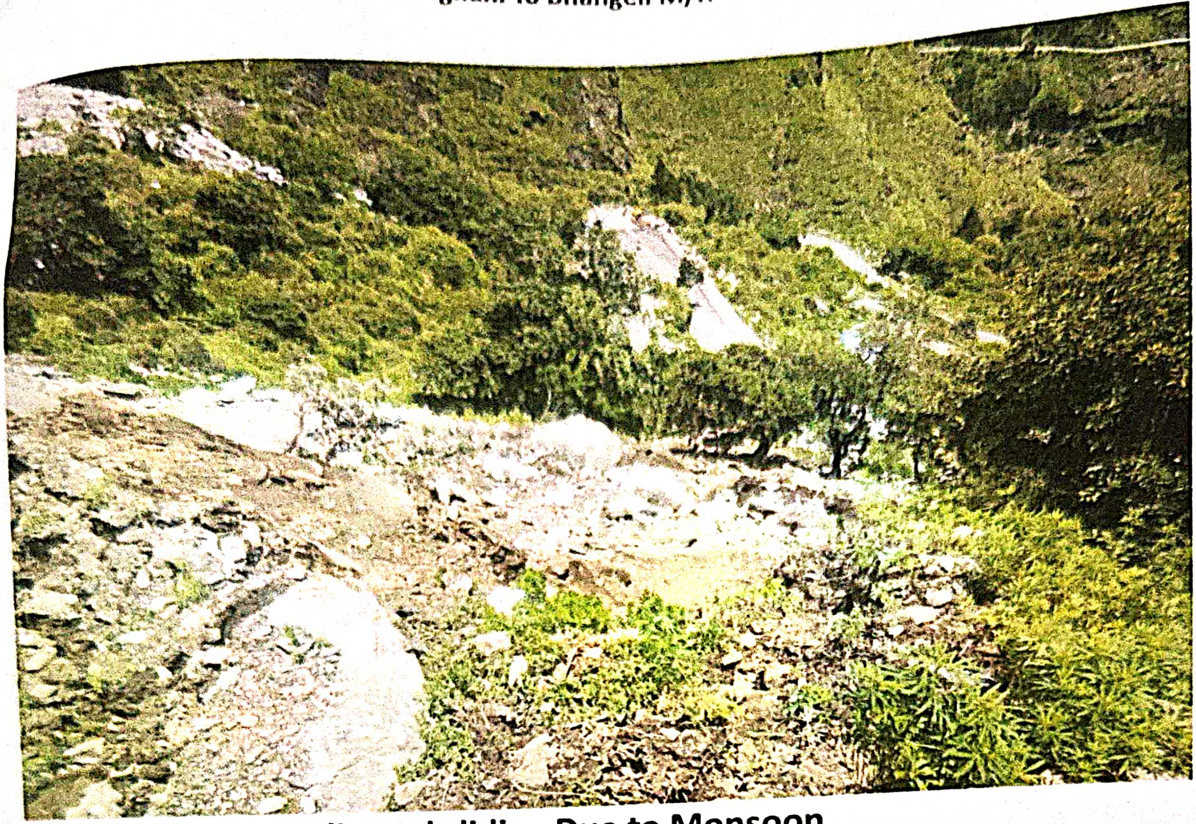

Slip and sliding Due to Monsoon

Slip and sliding Due to Monsoon

Gangnani To Bhangeli M/R

Slip and sliding Due to Monsoon